

INDEX**Un-Starred Question No. 106****Listed on 26.02.2024**

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply of Un-Starred Question No.106 (in English)	1-2
2.	Reply of Un-Starred Question No.106 (in Hindi)	3-4

THE PAYMENT OF SCHOLARSHIP

106 SMT. GEETA BHUKKAL (JHAJJAR)

Will the School Education Minister be pleased to state:-

- a) Whether it is a fact that the payment of scholarship for SC/BC/EWS/ students are not being paid regularly by the government
- b) The details of arrears under different schemes; and
- c) The reason for non- payment of scholarship to SC/BC/students?

REPLY

SH. KANWAR PAL, SCHOOL EDUCATION MINISTER, HARYANA

- a) No Sir, SC/BCA students from class 1st to 12th are being given the benefit of incentive amount directly into their bank accounts through DBT regularly. No scheme related to EWS is implemented in the School Education Department.
- b) Scheme wise detail as under is in process to be released to the beneficiaries (as under process):-

Category	Financial Year	Amount of arrear (in lacs)
SC	2021-22	3473.04
	2022-23	8904.83
BC	2021-22	3070.21
	2022-23	3726.10
BPL	2021-22	110.02
	2022-23	250.03

- c) Due to change in the process for collecting data of students level through the new module system from the MIS portal, the amount for the second, third and fourth quarters of the year 2022-2023 could not be distributed. The payment for the second quarter F.Y 2023-24 has been made in January 2024. Remaining payment is in process.

छात्रवृत्ति का भुगतान

106 श्रीमति गीता भुक्कल (झज्जर):

क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि:—

- (क) क्या यह तथ्य है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है;
- (ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बकाया का ब्यौरा क्या है; तथा
- (ग) अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान न करने के कारण क्या है?

उत्तर

श्री कंवल पाल, स्कूल शिक्षा मंत्री, हरियाणा

- (क) नहीं श्रीमान जी, कक्षा पहली से बाहरवीं तक के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का लाभ नियमित रूप से लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में डी0बी0टी के तहत दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं है।
- (ख) योजना-वार जिन लाभार्थियों को जारी छात्रवृत्ति का एरियर जारी करना प्रक्रियाधीन है, उसका विवरण निम्नानुसार है:—

श्रेणी	वित्त वर्ष	बकाया राशि (लाख में)
अनुसूचित जाति	2021-22	3473.04
	2022-23	8904.83

पिछडा वर्ग	2021-22	3070.21
	2022-23	3726.10
बी०पी०एल	2021-22	110.02
	2022-23	250.03

(ग) एम०आई०एस पोर्टल से न्यू मॉडुल सिस्टम के माध्यम से विद्यार्थियों स्तर के डाटा को एकत्रित करने की प्रक्रिया में परिवर्तन होने के कारण वर्ष 2022-2023 की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही की राशि वितरित नहीं की जा सकी। वित्त वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही का भुगतान जनवरी 2024 में किया जा चुका है। शेष भुगतान प्रक्रियाधीन है।
